फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम प्रकाश व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 13/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/09/25	द्वारा कोई उज्र आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में अथवा अन्य किसी प्रकार की प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः पत्रावली नस्ती उचित आदेश/निर्णय बाबत कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 29/09/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	29/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यों पर मनन किया गया। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के गहन अवलोकन व तथ्यों के रूबरू विवेचन से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट विधिक प्रक्रिया अनुसार व पावधानों एवं पक्षकारान हितों के मद्देनजर तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रतीत होती है। जिसके संदर्भ में उभयपक्ष कारान की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति की व्यक्त नहीं की गई है। साथ ही कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित परिष्टी के खंड सं. 03 के प्रस्तावित खातेदार प्रतिवादी सं. 03 रूडाराम पुत्र बिरदाराम के नाम प्रस्तावित खसरा नं. 459/2 रकबा 0.10 है. के रूप में हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। जबकि अन्य खातेदार/काश्तकार रूडाराम पुत्र बिरदाराम (प्रतिवादी सं. 03) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर --शे.०

फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम प्रकाश व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 13/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/09/25	द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान कमलेश पुत्र मंगलसिंह (प्रतिवादी सं. 06) को पूर्व में ही किया जा चुका है। जिसको प्रकरण में पूर्व में ही प्रतिवादी सं. 06 के रूप में स्थापित किया जाकर प्रार्थना डिक्री पारित की गई है। अतः तहसीलदार आमेर की ओर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित परिष्टी के खंड सं. 03 में विक्रेता खातेदार प्रतिवादी सं. 03 रूडाराम पुत्र बिरदाराम के स्थान पर क्रेता प्रतिवादी सं. 06 कमलेश पुत्र मंगलसिंह को अंकित किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट में उक्तानुसार मात्र आंशिक संशोधन अनुसार वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट का नक्शा निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मिसल दफ्तर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	